(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के परिरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है । राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

(6) जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे निर्मित वस्तुगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय संकटापन्न वन्य प्राणिजात और वनसंपतिजात व्यापार कनवेंशन के उपबंधों के अंतर्गत विनियमत किया जाता है । भारत इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला देश है ।

(7) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(8) शिकारियों और अवैध व्यापारियों की गिरफ्तारी में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षक और सेना का भी सहयोग लिया जाता है ।

(9) मुखबिरों को इनाम का भुगतान करने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ वन्य जीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है ।

(10) इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए स्थापित समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाए हैं जिन्हें राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है ।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जाना

26. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बन्द की जाने वाली इकाईयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आदेश का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसके आदेश सभी संबंधित इकाइयों पर सख्ती से तथा पूर्ण रूप से लागू हों ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कहा गया है कि वे उन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया है । दोषी इकाइयों के विरुद्ध किसी राज्य बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में दी गई सहमति वापस लेना या पूर्व सहमति की वैधता समाप्त होने के बाद नई सहमति जारी न करना, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों की स्थापना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम देते हुए निर्देश जारी करना, मुकदमा चलाना या समयबद्ध प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इकाइयों द्वारा अच्छी प्रगति न करने के मामले में उन्हें बन्द करने के आदेश जारी करना ।

(ख) और (ग) सरकार ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अधिकतम 30 जून, 1994 तक सुनिश्चित करें कि अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाली अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों में सभी बड़ी और मझौली इकाइयां द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जाए । राज्य बोर्डों को यह भी कहा गया है कि वे मामला-दर-मामला आधार पर इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की पुनरीक्षा करें और दोषी इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। उनसे यह भी कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति और इस प्रकार की दोषी इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में वे सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।